

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018 / एल-320

जयपुर, दिनांक : 30.11.2018

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2878 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 की पालना में डा. देवी सहाय मीणा, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोडाभीम, करौली के पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2878 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के विरुद्ध अपील दायर कराने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर / जोधपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली / सिरोही
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी / रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव